ऑन लाईन नं. GCMS 2025/95

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 31/2025

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री मूलाराम पुत्र श्री गणेशाराम (विक्रेता व मालिक), निवासी 69, पंचायत भवन के पास, बीनादेसर बीदावतान, बिनाउसेर बिदवातन, बीनादेसर, चूरू, राजस्थान मै. बालाजी डेयरी, वार्ड न.1, बॉलीवॉल ग्राउंड के सामने, मैन रोड, लालगढ़ जाटान, ब्लॉक सादूलशहर, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

दिनांकः 24.10.2025

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– संख्या प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप–3/ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.01.2025 को समय 4.30 पीएम बजे को **मै. बालाजी डेयरी, वार्ड न.1, बॉलीवॉल ग्राउंड के सामने, मैन रोड, लालगढ़ जाटान, ब्लॉक सादूलशहर, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर **श्री मूलाराम पुत्र श्री गणेशाराम (विकेता व मालिक)** को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण कर संस्थान में सिल्वर कैनो के अंदर लगभग 40 किलोग्राम खाद्य पदार्थ घी**(लूज)** के बारे मे जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया और संस्थान में रखे सिल्वर कैनो के अंदर लगभग 40 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **घी(लूज)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **घी(लूज)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री मूलाराम पुत्र श्री गणेशाराम (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री मूलाराम पुत्र श्री गणेशाराम (विक्रेता व मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे सिल्वर कैनों के अंदर लगभग 40 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **घी(लूज)** में से 800 ग्राम को वजनी कर विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **घी(लूज)** का नगद भुगतान 440/– रूपये किया तथा केशमीमो वनवाकर लिया जिस पर विक्रेता व मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी(लूज)** को एक रूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया तथा चारों बोतलों पर लेवल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2670** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोवारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–2670 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से वांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोवरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील वन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री मूलाराम पुत्र श्री गणेशाराम (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./96/Act/2025/96 Dated 07-02-2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2670 Unsafe Food** होना पाया गया। स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः जांच हेतु मालिक को सूचित किया गया, जिस पर मालिक ने रेफरल फूड लेब से जांच करवाने हेतु आवेदन किया। रेफरल फूड लेब से जांच हेतु आवेदन करने के पश्चात रेफरल फूड लेबोरेट्री, मैसूर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

FT/AQCL/FSSA(359F)/2025 Dated 17.04.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2670 Substandard Food** होना पाया गया।

इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री मूलाराम पुत्र श्री गणेशाराम (विक्रेता व मालिक), निवासी 69, पंचायत भवन के पास, बीनादेसर बीदावतान, बिनादसेर बिदवातन, बीनादेसर, चूरू, राजस्थान मै. बालाजी डेयरी, वार्ड न.1, बॉलीबॉल ग्राउंड के सामने, मैन रोड, लालगढ़ जाटान, ब्लॉक सादूलशहर, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर के घी(लूज) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 14.05.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार भाटी को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थी के बालाजी डेयरी के लिए गए घी के सैंपल का नोटिस दिया गया था। प्रार्थी निवेदन करता है कि प्रार्थी एक गरीब आदमी है तथा देसी घी लाकर गांव लालगढ़ में बेचान करता है तथा प्रार्थी को घी की गुणवत्ता के बारे में ज्ञान नहीं है क्योंकि जो माल वह खरीदकर लाता है वही माल आगे बेचान करता है। प्रार्थी को उक्त घी की गुणवत्ता के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। प्रार्थी का यही निवेदन है कि प्रार्थी से अनजाने में भूल हुई है तथा यह प्रथम भूल है। इसलिए प्रार्थी पर नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त पत्रावली का निस्तारण किया जावे। प्रार्थी आयंदा ऐसी कोई भूल नहीं करेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी एक छोटा व्यापारी है तथा अभी काम शुरू किया था। घी की गुणवत्ता के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रार्थी की प्रथम भूल मानकर नर्मी का रूख अपनाया जाकर निर्णय किया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **घी(लूज)** का सैम्पल **K-2670** रेफरल फूड लेबोरेट्री, मैसूर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक FT/AQCL/FSSA(359F)/2025 Dated 17.04.2025 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को उक्त घी की गुणवत्ता के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। प्रार्थी का यही निवेदन है कि प्रार्थी से अनजाने में भूल हुई है तथा यह प्रथम भूल है। इसलिए प्रार्थी पर नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त पत्रावली का निस्तारण किया जावे। प्रार्थी आयंदा ऐसी कोई भूल नहीं करेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी एक छोटा व्यापारी है तथा अभी काम शुरू किया था। घी की गुणवत्ता के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रार्थी की प्रथम भूल मानकर नर्मी का रूख अपनाया जाकर निर्णय किया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample is "Substandard" as defined under section 3(1)(zx) of **Food Safety and Standards Act-2006 as it does not conform to the standard laid down for <u>Ghee</u> under the provision of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Regulations 2011 and Food Safety and Standards [Prohibition & Restriction On Sales] Regulation -2011** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री मूलाराम पुत्र श्री गणेशाराम (विक्रेता व मालिक), निवासी 69, पंचायत भवन के पास, बीनादेसर बीदावतान, बिनाउसेर बिदवातन, बीनादेसर, चूरू, राजस्थान मै. बालाजी डेयरी, वार्ड न.1, बॉलीवॉल ग्राउंड के सामने, मैन रोड, लालगढ़ जाटान, ब्लॉक सादूलशहर, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री मूलाराम पुत्र श्री गणेशाराम (विक्रेता व मालिक), निवासी 69, पंचायत भवन के पास, बीनादेसर बीदावतान, बिनाउसेर बिदवातन, बीनादेसर, चूरू, राजस्थान मै. बालाजी डेयरी, वार्ड न.1, बॉलीवॉल ग्राउंड के सामने, मैन रोड, लालगढ़ जाटान, ब्लॉक सादूलशहर, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 10,000—00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी (एवं०)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा०)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)